कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

–:आदेशः–

क्रमांक 253 /स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2017 नया रायपुर, दिनांक 04-12-2017

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र कमांक एफ 1–1/2016/34–1 दिनांक 10.06.2016 एवं वित्त विभाग के जावक कमांक 244/ब–2, कम्प्यूटर कमांक–34–00334 दिनांक 25.05.2016 से प्राप्त निर्देश में प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र कमांक 7035 दिनांक 30.09.2016 के माध्यम से जारी विज्ञापन अनुसार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा दिनांक 24.12.2016 को उप अभियंता (सिविल) के परीक्षा का आयोजन किया गया था। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा जारी संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर दिनांक 15.11.2017 को आयोजित द्वितीय कांउसिलिंग में अभ्यर्थियों के अर्हता संबंधी विभागीय छानबीन समिति द्वारा उपयुक्तता परीक्षण पश्चात् अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उप अभियंता (सिविल) के पद पर वेतनमान रू. 9300–34800/– + ग्रेड वेतन रू. 4200/– प्रतिमाह तथा शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्यग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाकर उनके नाम के समक्ष दर्शाये गये कार्यालय में सूची के नीचे में दर्शित शर्तो के अधीन पदस्थ किया जाता हैः–

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	श्रेणी	चयनित श्रेणी	संयुक्त मेरिट कमांक	कार्यालय जहां पदस्थ किया जाता है।
1	श्री सुदर्शन सिंह	श्री गोविन्द सिंह	अजजा	अजजा (मुक्त)	65	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, कसडोल
2	श्री रीतेश कुमार पैकरा	श्री सिदार सिंह पैकरा	अजजा	अजजा (मुक्त)	68	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, कोण्टा
3	श्री भीम राम	श्री देवकरण राम	अजजा	अजजा (मुक्त)	69	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, वाड्रफनगर
4	श्री दिलीप सिंह मंडावी	श्री सत्यनारायण मंडावी	अजजा	अजजा (मुक्त)	70	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, कोण्टा
5	श्री मनोज कुमार पैकरा	श्री आनंद प्रसाद पैकरा	अजजा	अजजा (मुक्त)	71	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, कुरूद
6	श्री जितेन्द्र कुमार तारेन्द्र	श्री देवल सिंह तारेन्द्र	अजजा	अजजा (मुक्त)	73	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, भोपालपट्टनम
7	श्री ए.एन. सुबोधकांत पिस्दा	श्री भेदीराम पिस्दा	अजजा	अजजा (मुक्त)	75	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, मोहला
8	श्री बुढ़ान सिंह सिदार	श्री घसिया सिदार	अजजा	अजजा (मुक्त)	77	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, देवभोग
9	श्री किशोर कुमार सिंह	श्री चैतूराम सिदार	अजजा	अजजा (मुक्त)	78	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, देवभोग
10	कु. पूजा बैरागी	श्री संतूराम बैरागी	अजजा	अजजा (महिला)	141	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, बिलासपुर
11	कु. दीपशिखा उसारे	श्री श्यामूलाल उसारे	अजजा	अजजा (महिला)	165	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उपखण्ड, मोहला
12	कु. सीमा केहरी	श्री अघन साय केहरी	अजजा	अजजा (महिला)	173	कार्यालय अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल अंबिकापुर

यह नियुक्तियां निम्न शर्तो के अधिन होगीः–

1. अभ्यर्थी को पदस्थापना कार्यालय में नियुक्ति आदेश के 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जायेगी।
2. पदस्थापना कार्यालय में उपस्थिति देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, स्थाई जाति प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र, निःशक्तता प्रमाण–पत्र एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र के साथ दसवीं के अंक सूची जिसमें जन्मतिथि अंकित हो या जन्म प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4. अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

5. चयनित अभ्यर्थी को चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तत्काल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

6. पुलिस अधीक्षक से प्राप्त चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र में विपरीत टीप/अपराधिक गतिविधियां पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त की जावेगी।

7. उपरोक्त उप अभियंताओं के नियुक्ति आदेश के दिनांक से दो वर्ष की परीविक्षा अवधि में रहेंगे।

8. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।

9. किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तिकर्ता को देकर या नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम–60 के उपनियम–12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते है तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम का न हो देना होगा।

10. अभ्यर्थी को वर्क्स डिपार्डमेंट मेन्युअल भाग–1 के पैरा 1.055 एवं 1.056 के अनुसार लेखा एवं यांत्रिकीय परीक्षा तीन वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

11. वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 980/सी–761/वि/नि/चार/4 दिनांक 27.02.2004 के अनुसार नियुक्त अभ्यर्थी के लिये नई परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन योजना लागू होगी।

12. कार्यग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

13. उप अभियंता (सिविल) के पद पर वरिष्ठता विभागीय चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन सूची के अनुसार होगी।

14. आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के सदस्य होने संबंधी दी गई जानकारी/प्रमाण–पत्र यदि गलत पाये गये तो संबंधित उम्मीदवार बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किये जाने का उत्तरदायी होगा तथा उनके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही भी की जा सकेगी। साथ ही निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से स्थाई जाति प्रमाण–पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होवे अन्यथा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण/रोस्टर संधारित करने संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है।

नोटः– राज्य स्तरीय पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्रमांक रिट पिटी (सी) क्रमांक 591/2012, रिट पिटी/सी क्रमांक 592/2012, रिट पिटी (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटी (सी) क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

सहपत्रः– चरित्र सत्यापन प्रपत्र।

(टी.जी. कोसरिया)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नया रायपुर

पृ0क्रं. 8834 स्था./प्र.अ./लोस्वायांवि/2017 नया रायपुर, दिनांक 04-12-2017

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, छ0ग0 की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता/सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग– परिक्षेत्र/मण्डल/खण्ड/उपखण्ड (परि0/संधारण) ....

   कृपया अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि संबंधी एवं अन्य मूल प्रमाण–पत्रों की जांच के पश्चात् ही उपस्थिति मान्य की जावे एवं तत्संबंध में उपस्थिति अवधि के पश्चात् स्थिति से प्रमुख अभियंता कार्यालय को सूचित करें।
4. संबंधित चयनित अभ्यर्थी (पंजीकृत डाक से) .... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कार्यालयीन आदेश नस्ती।

4/12/17

(टी.जी. कोसरिया)
प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ नया रायपुर